प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान) के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक-5866/अधि0ब0अनु0, दिनांक 27.12.2024 एवं शासनादेश संख्या-159/2024/01-609-24-27-सिं-9-15एसएवी/23 एवं पुनर्विनियोग शासनादेश संख्या-2287/24-27-सिं-9-15एसएवी/23, दिनांक 14.02.2025 एवं पुनर्विनियोग शासनादेश संख्या-2287(1)/24-27-सिं-9-15एसएवी/23, दिनांक 14.02.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पुनर्विनियोग शासनादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2701020010300 (निदेशन) हेतु **रू0 4.10 करोड़,** लेखाशीर्षक- 2701020010400 (कार्यकारी अधिष्ठान) हेतु **रू0 27.20 करोड़,** लेखाशीर्षक-2701020010500 (कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था) हेतु **रू0 2.00 करोड़** एवं लेखाशीर्षक-2701808000300 (नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा) हेतु **रू0 200.00 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू0 233.30 करोड़** पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। अत: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्विनियोग द्वारा व्यवस्थित धनराशि रू0 233.30 करोड़ व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के साथ प्रदान करते हैं;-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। विभाग इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) अनुदान सं0-95/2701 के अन्तर्गत भारित मद में करायी गयी बजट व्यवस्था व्यय शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सम्बन्धित अनुभागों की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये।

(5) शासनादेश संख्या-159/2024/001-609-24-27-सिं-9-15एसएवी/23, दिनांक 23.04.2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

(6) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2701020010300 (निदेशन)

	अनु0 सं0	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	095	2701020010300 निदेशन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
2	095	2701020010300 निदेशन	49 चिकित्सा व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
3	095	2701020010300 निदेशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,30,00,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)
	कुल			**4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020010400 (कार्यकारी अधिष्ठान)

	अनु0सं0	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
2	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
4	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
5	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
6	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

7	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
8	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	12,50,00,000 (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)
9	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**27,20,00,000** **(रुपये सत्ताईस करोड़ बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020010500 (कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था))

	अनु0 सं0	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020010500 कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था)	02 मजदूरी	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000** **(रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701808000300 (नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा)

	अनु0 सं0	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701808000300 नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र)
	कुल			**2,00,00,00,000** **(रुपये दो अरब मात्र)**

महायोग	**2,33,30,00,000** **(रुपये दो अरब तैंतीस करोड़ तीस लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-34/2025/001-282-25-27-सिं-9-15एसएवी-23, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
वी0एन0तिवारी
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है